न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 21/2017

1- मुलचन्द पुत्र सूरजाराम
2- रामकुमार पुत्र सूरजाराम } जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

3- केशरीदेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- जे0ई0एन0 पी0डब्लू0डी0 नवलगढ ।

2- एक्स0ई0एन0 सा0नि0वि0 नवलगढ राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू ।

3- रामसिंह पुत्र करनीदान
4- ओमप्रकाश पुत्र करनीदान
5- महावीर पुत्र मंगेजदान } जाति चारण निवासीगण ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोन्डेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 8-3-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विधाधर जाखड एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सुभाषचन्द आर्य एडवोकेट- रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय दिनांक- 13.3.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय दिनांक- 13.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण/अपीलान्टस ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 629 रकबा 1.8800 हैक्टर की खातेदारी आवेदकगण सं0-1 से 5 व प्रतिवादी सं0- 4 से 10 के नाम दर्ज है। यह आराजी भाई बंट में वादीगण सं0-4 व 5 मूलचन्द व रामकुवार के हिस्से में आई है । आवेदकगण सं0-1 से 3 व प्रतिवादी सं0-4 से 10 के हिस्से में दूसरी जमीन हिस्से में आई हैं । लेकिन उनका नाम खातेदारी में दर्ज है इस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है ।उक्त विवादित आराजी व अन्य भूमियों के करीब 100 मीटर दक्षिण से गुढा से नवल गढ सडक जाती है।विवादित आराजी के पश्चिम में ख0नं0 634, 363, 747, 646, 644 स्थित है ।इन भूमियों के दक्षिण से भी गुढा से नवलगढ सडक जाती है। अनावेदकगण सं0- 4.5 व 6 की आराजी ख0नं0 646 में खातेदारी है जो आवेदक से द्वेषता रखते हैं जो वादीगण की खातेदारी भूमि में से बिना कोई रास्ता होते हुये ग्रेवल रोड डलवाने पर आमादा है। जबकि आवेदक के खेत में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है ।आवेदक के खेत की सीमा सीमा आने आने के लिए पगडण्डी काश्तकारों की परम्परा रिति के अनुसार अस्थाई थी जिससे बिना जौते बैल पैदल व्यक्ति ही आ जा सकता था ।यह पगडण्डी भी 35-40 वर्ष पूर्व गुढा नवलगढ सडक होने से बन्द हो गई । इसके बाद भी अनावेदकगण आवेदक की भूमि में जबरन ग्रेवल सडक डालने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदक के खातेदारी की भूमि में कोई ग्रेवल सडक डालकर सरकारी धन का दूरूपयोग नहीं करें, आराजी वेस्ट एवं डेमेज नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी ख0नं0 529 रकबा 1.88 हैक्टर सुन्दरी, शान्ति, विनोद कुमार, मूलचन्दव रामकुमार की खातेदारी में दर्ज है जो अपीलान्ट मूलचन्द व रामकुमार के हिस्से में आया है । इस आराजी से सुन्दरी, शांति व विनोद कुमार ने दावा में प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी की खातेदारी में से अपना नाम हटवा लिया इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया । अपीलान्ट के खेत में न तो कटाणी रास्ता है और न ही डोटेड लाईन का रास्ता है।अपीलान्ट के खेत में सीजनेबल रास्ता है जिसमें यदि ग्रेवल सडक डाली जाती है तो अपीलान्ट स्थाई रूप से अपनी खातेदारी भूमि के रकबे से कम की काश्त हो जायेगी जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है ।ख0नं0 627 अपीलांट केशरी देवी का है । इस खसरा नम्बर में भी कोई कटाणी अथवा डोटेड रास्ता नहीं है । जिसमें भी किसी को ग्रेवल सडक डालने का कोई अधिकार नहीं है ।यदि रेकार्डेड खातेदार की आराजी में से किसी को रास्ता/सडक या अन्य निमार्ण करना चाहता है तो सरकार को लैण्ड एक्वी जिशन एक्ट के अनुसार भूमि एकवायर करके ही सडक निकाल सकता है । केवल कानून को हाथ में लेकर राजनैतिक प्रभाव से सडक नहीं बनाई जा सकती । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में लिखा है व आधार लिया है कि खसरा नं0- 746 रकबा 0.11 हैक्टर गै0मु0 रास्ता में ग्रेवल रोड बनाई जा रही है। जबकि ख0नं0 746 से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसपर चाहे जो बनाये अपीलान्ट को कोई लेना देना नहीं अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की सडक का निर्माण नहीं किया जावे ।किन्तु अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के राजनैतिक दबाव में अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 629 एवं 627 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। जिसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है ।इस की खातेदारी अपीलान्ट के नाम से दर्ज है।ख0नं0 629 में सुन्दरी, शान्ति एवं विनोद की खातेदारी दर्ज थी जिन्होने दावे में प्रार्थना पत्र लिखकर दे दिया कि ख0नं0 629 की खातेदारी मूलचन्द व रामकुमार की है जिसमें हमारा न तो कब्जा है और न ही खातेदारी हमारा नाम इस खसरा नम्बर से हटा दिया जावे ।इस कारण उन्हे अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया ।उक्त आराजी का लगान अपीलान्ट देते आ रहे है और जिस आराजी का लगान खातेदार देता है तो उस आराजी में किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है ।यदि उक्त खातेदारी में उन्हें कुछ निमार्ण करना है तो इसमें से जितनी आराजी चाहिये अवाप्त कर लेवें बिना अवाप्त किये खातेदार की खातेदारी भूमि में जबरन रास्ता नहीं निकाल सकते न सडक बना सकते है । अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में तो कोई डोटेड रास्ता भी नहीं है यदि डोटेड रास्ता हो तो भी राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के रूल्स-17 के अनुसार सरकार को इस रास्ते पर भी कोई अधिकार नहीं है। जबकि उक्त भूमि तो मेरे खातेदारी की है ।जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दू हमारे पक्ष मे है किन्तु अदालत मातहत ने इन बिन्दूओं पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर मेरा प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति के आदेश दिये जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 24-6-15 हल्का निरीक्षक, पटवारी एवं पुलिस जाप्ता के ग्रामकोलसिया की आराजी ख0नं0 746 गै0मु0 रास्ता के मौके पर पंहुच कर ख0नं0 630, 629, 627, 750 में से डोटेड लाईन से कटानी रास्ते पर ट्रेक्टर चलाते हुये रास्ता कायम किया जिसमें अपीलान्ट के भी खेत है। इस रास्ते के बाबत जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंन्टी स्कीम के तहत दिनांक 01-01-2016 को कोलसिया से रामसिंह की ढाणी तक गेवल सडक का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है । यह कार्य जनहित का है । ख0नं0 746 रकबा 0.11 हैक्टर गै0मु0 रास्ता दर्ज है । रास्ते के बाबत ग्राम पंचायत कोलसिया ने भी फैसला किया जिसकी अपीलान्ट ने आज तक कोई अपील नहीं की है । ग्राम पंचायत ने जब रास्ता खुलवाया तो अपीलान्ट को उसकी अपील करनी चाहिये थी किन्तु अपीलान्ट ने उसकी कोई अपील नहीं की है । योग्य अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0- 2067 से 2070 में ख0नं0 629 रकबा 1.88 हैक्टर की खातेदारी सुन्दरी स्त्री भगवाना महावीर सुखदेव देवकरण इन्द्राज विजेन्द्र पिता भगवाना हि0ब0 1/4, शान्ति पत्नी भागीरथ, गिरधारी विनोदकुमार रामस्वरूप पि0 भागीरथ हि0ब0 1/4 मूलचन्द, रामकुमार पि0 सुरजाराम हि0ब0कहि0 1/2 दर्ज है। ख0नं0 627 व 672, 1538/ 750 कुल किता-3 रकबा 5.0600 हैक्टर की नामान्तरकरण सं0- 1575 के अनुसार ख0नं0 672 एवं विभाजन में ख0नं0 627 रकबा 3.55 हैक्टर केशरी एवं रामकुमार को मिला । कार्यालय ग्राम पंचायत कोलसिया ने प्रस्ताव संख्या-5 में ख0नं0 750, 627, 629, 630, व 634 में पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रास्ता जाता है वह डोटेड लाईन से दिखाया है जो रेकार्ड में दर्ज नही वह मौके पर मौजूद बताया है । इस्तगासा अन्तर्गत धारा-133 सीआरपीसी थाना नवलगढ में मौका स्थल व अन्य दस्तावेज के

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन से ख0नं0 750, 627, 629, 630 व 634 में पूर्व से पश्चिम की तरफ विवादि-त रास्ता जाता है ।फर्द मौका दिनांक 24-6-2015 में ख0नं0 746 गै0मु0 रास्ता के मौके पर पंहुचा ख0नं0 634, 630, 629, 627, 750 में से डोटेड लाईन से कटानी रास्ते पर ट्रेक्टर चलाते हुये यह रास्ता कायम करते हुये मौके पर पूर्ण रूप से खुलवाया गया है । नकल नक्शा सन् 1979-80 में ख0नं0 629 व 627, 1538/750 में डोटेड लाईन से रास्ता दर्ज है । यह रास्ता मौके पर तहसीलदार, पुलिस थाना की रिपोर्ट एवं नक्शे में दर्ज है केवल राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। इस रास्ते के बाबत ग्राम पंचायत ने भी अपने प्रस्ताव सं-5 में निर्णय पारित किया है । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्थान लैण्ड रेकार्ड(सर्वे रेकार्ड एवं सेटलमेन्ट)(सरकारी) नियम 1957 के नियम-17 का उल्लेख करते हुये अस्थाई एवं मौसमी रास्ते डोटेड लाईन से प्रदर्शित किये जाते है । ऐसे रास्तो पर यदि ग्रेवल रोड बना दी जाती है तो काश्तकार अपनी जोत से स्थाई रूप से वंचित हो जाता है। आगे उन्होने इण्डियन इजमेन्ट एक्ट की धारा-22 एवं 23 का भी उल्लेख करते हुए विधमान सुविधा से अतिरिक्त सुविधा नहीं दिये जाने बाबत कथन किया । किन्तु उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर निम्नानुसार स्थिति प्रकट होती है:- सन् 1937-38 से आदिनांक विवादित रास्ता डोटेड लाईन से नक्शे में दर्ज है । ग्राम पंचायत कोलसिया के प्रस्ताव सं0-5 दिनांक 12-12-2004 के द्वारा प्रश्नगत रास्ते को अवरोध पैदा नहीं कर आगे तक जारी करवाने हेतु उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत रास्ते को सार्वजनिक रास्ता मानते हुये उप खण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा इस रास्ते पर पब्लिक न्यूसेंस मानते हुये धारा-133 जा0फौ0 के तहत अवरोध हटाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिये जिस पर उन्होने उक्तानुसार रास्ते पर किए गये अवरोध को हटाकर रास्ता चालू करवाया । यह कार्यवाही तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 24-6-2015 को मय पुलिस जाप्ते के की गई । इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रश्नगत डोटेड रास्ता पुराने समय(सन् 1937-38) से प्रचलन में है तथा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है । इस रास्ते को जब कभी बाधित करने का प्रयास किया गया है तो प्रशासन द्वारा इस अवरोध

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

कायम कर उसकी खातेदारी भूमि को वेस्ट एवं डेमेज करने का कथन इस परिप्रेक्ष्य में साबित नहीं होता है । पूर्व में प्रचलित रास्ते को आवागमन हेतु सुगम बनाने के लिए ग्रेवल आदि की कार्यवाही करने से रोका जाना जनहित में उचित नहीं माना जा सकता । इस प्रकार समस्त राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 8-3-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.3.2018 को सुनाया गया ।

13/3/18

([illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर